

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर कपासन	मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र सिंहपुर
गोपाल लाल	बनाम रामलाल
किरमा मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट0	नं0 65 सन् 2023
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
26.06.2023	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</p> <p>वकील प्रार्थीगण ने आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र सिंहपुर में हाजिर होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट का प्रस्तुत कर बहस एक तरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थीगण ने बताया की मामला पत्थरगढी का है, जिसमें प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहते है, वकील प्रार्थीगण ने बताया कि मौजा सिंहपुर पटवार हल्का सिंहपुर तहसील कपासन मे स्थित खाता संख्या 843 के हाल आराजी संख्या 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, कुल किता 10 कुल रकबा 3.34 हैक्ट0, कृषि भूमि के प्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार है, प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढी कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।</p> <p>हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व वकील प्रार्थीगण को सुना। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी/सीमांकन कराना चाहते है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहे व विवाद समाप्त हो जावे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा सिंहपुर पटवार हल्का सिंहपुर तहसील कपासन मे स्थित खाता संख्या 843 के हाल आराजी संख्या 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, कुल किता 10 कुल रकबा 3.34 हैक्ट0, कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिनुसार संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।</p>



सत्यमेव जयते

Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)

उपखण्ड अधिकारी, कपासन
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)